सं0-4/2015/3917/62-2-2014-2/3(09)/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 05 जनवरी,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1878/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/2014-15, दिनांक 09-12-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में कुल प्राविधानित धनराशि `-25.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-996/62-2-2014-2/3(09)/2014, दिनांक 07-04-2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि `-8.33 लाख तथा शासनादेश सं0-3125/62-2-2014-2/3(09)/2014, दिनांक 04-12-2014 द्वारा अवमुक्त धनराशि (रूपया आठ लाख तैतीस हजार मात्र) को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवशेष धनराशि `-16.67 लाख के सापेक्ष तीन अदद सुपरवाजरी वाहन रिप्लेसमेन्ट के आधार पर क्रय हेतु `-14.54 लाख इस प्रकार कुल धनराशि `-22.87 लाख को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवशेष धनराशि `-02.13 लाख में से धनराशि में धनराशि `-0.13 लाख (रूपये तेरह हजार मात्र) को पूर्व में क्रय हेतु दी गयी अनुमति के लिए अतिरिक्त धनराशि के रूप में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 07-4-2014 एवं शासनादेश दिनांक 04-12-2014 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-मद-14-मोटर गाडियों का क्रय"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-4/2015/3917(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।